फर्जी हथियार बरामदगी में तत्कालीन एसओ व दो सिपाहियों को डेढ़ वर्ष की सजा

निजी मुचलकों पर छोड़ा, 32 साल बाद कोर्ट से मिला आंदोलनकारियों को न्याय, सीबीआइ की ओर से 17 गवाह पेश किए गए, लगभग 100 से अधिक तारीख लगीं

ब्रजकिशोर (दाएं) व उमेश कुमार ●

अनिल कुमार ●

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर: लगभग 32 वर्ष बाद रामपुर तिराहा कांड से जुड़े सरकार बनाम ब्रजकिशोर प्रकरण में मंगलवार को निर्णय सुनाया गया। आंदोलनकारियों के वाहनों से फर्जी हथियार बरामदगी के मामले में न्यायालय ने तत्कालीन झिंझाना एसओ व दो सिपाहियों को डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई। तीनों दोषियों पर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एक आरोपित सिपाही की मृत्यु होने के कारण उसकी फाइल उपशमित कर दी गई थी। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों दोषियों को निजी मुचलका पर छोड़ा गया। बुधवार को तीनों दोषियों को जमानत दाखिल करनी होगी। न्यायालय ने कहा कि जब राज्य के कर्मचारी व पुलिस अधिकारी स्वयं ही निर्दोष को फंसाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचते हैं और फर्जी साक्ष्य गढ़ते हैं तो यह केवल व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि संपूर्ण राज्य व्यवस्था और न्याय प्रणाली के विरुद्ध अपराध होता है, जबकि संवैधानिक व्यवस्था में राज्य एवं राज्य के सेवकों का प्रथम दायित्व ही नागरिकों की सुरक्षा एवं व्यक्तियों का विधिक संरक्षण है, किंतु आरोपितों की आयु भी विचारणीय है।

उत्तराखंड संघर्ष समिति के अधिवक्ता अनुराग सिंह वर्मा, रजनीश चौहान, सीबीआइ के अधिवक्ता धारा सिंह मीणा ने बताया कि लगभग 32 वर्ष पूर्व दिल्ली में तैनाती के दौरान पंजाब के डीजीपी प्रदीप कुमार ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को रैली करने की अनुमति दी थी। इसके चलते एक अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड के आंदोलनकारी बस समेत विभिन्न वाहनों से दिल्ली जा रहे थे। इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स ने रामपुर तिराहा पर रोक लिया था। पुलिस की फायरिंग में सात आंदोलनकारियों की मौत हुई थी। आंदोलनकारियों के वाहनों से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद होना दिखाया था। इस संबंध में झिंझाना एसओ ब्रजकिशोर की ओर से छपार थाने में हथियार बरामदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में सीबीआइ ने रामपुर तिराहा कांड की जांच की थी। इसमें सीबीआइ देहरादून के निरीक्षक यशपाल सिंह द्वारा झिंझाना थाना एसओ ब्रजकिशोर, आरक्षी अनिल कुमार, कमल किशोर व उमेशचंद के विरुद्ध धारा 120बी, 182, 211, 218 आइपीसी तथा आर्म्स एक्ट में परिवाद दायर किया गया। इसकी जांच कर सीबीआइ देहरादून शाखा के निरीक्षक उदयवीर सिंह ने आरोप-पत्र बनाया था। आरोप-पत्र की संपूर्ण फाइल सीबीआइ की शाखा देहरादून, लखनऊ, मुरादाबाद के बाद पुनः देहरादून भेजी गई। उसके बाद मुजफ्फरनगर न्यायालय में स्थानांतरित की गई।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम)-प्रथम, विशेष न्यायालय सीबीआइ के न्यायाधीश डा. देवेंद्र सिंह फौजदार के न्यायालय में सुनवाई हुई। मंगलवार को सुनवाई के दौरान तत्कालीन झिंझाना एसओ ब्रजकिशोर, आरक्षी अनिल कुमार और उमेश कुमार को 60 पेज के आदेश में डेढ़-डेढ़ वर्ष की सजा के साथ 21-21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। एक आरोपित आरक्षी कमल किशोर की मौत होने के बाद वर्ष 2007 में उसकी फाइल उपशमित कर दी गई थी। सीबीआइ के अधिवक्ता धारा सिंह मीणा की ओर से 17 गवाह पेश किए गए। 100 से अधिक तारीख लगीं।

उमेश बन चुका दारोगा, अनिल और ब्रजकिशोर सेवानिवृत्त : रामपुर तिराहा कांड के मामले में तीनों दोषी जमानत पर चल रहे थे। ब्रजकिशोर वर्ष 2011 में शाहजहांपुर थाने से इंस्पेक्टर तथा अनिल कुमार वर्ष 2021 में दारोगा बना था। अनिल वर्ष 2022 में मेरठ के सिविल लाइंस थाने से दारोगा के पद से सेवानिवृत्त हो चुका है। उमेश चंद वर्तमान में मेरठ के पुलिस लाइन में दारोगा है। ब्रजकिशोर अपने परिवार के साथ गाजियाबाद के प्रताप विहार में रहता है, वहीं अनिल मेरठ के शास्त्रीनगर में रहता है।

रामपुर तिराहा पर वर्ष 1994 को दिल्ली कूच करने के दौरान रोके गए आंदोलनकारी ● सौ. इंटरनेट मीडिया

रामपुर तिराहा पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की स्मृति में बना बलिदान स्मारक ● जागरण

रात को लाठीचार्ज और सुबह चली थी गोलियां

न्यायालय में गवाहों ने दिए बयान में कहा कि रामपुर तिराहा पर रोके गए आंदोलनकारियों के साथ बर्बरता की गई। यहां पर रात को लाठीचार्ज होना तथा सुबह छह बजे गोलियां चली थीं। आंदोलनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ गए थे। महिलाओं के बाल खींचकर बसों से निकाला था। अफरातफरी मचने से आंदोलनकारियों ने जहां-तहां शरण ली थी। पुलिस रक्षक की भूमिका छोड़कर भक्षक बनी थी।

यह था मामला

एक अक्टूबर 1994 को पृथक राज्य की मांग के लिए देहरादून से दिल्ली जाते समय आंदोलनकारियों को छपार थाना क्षेत्र में रामपुर तिराहा पर रोक लिया गया था। देर रात पुलिसकर्मियों ने आंदोलनकारियों पर फायरिंग की थी। इसमें सात आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। साथ ही महिलाओं से दुष्कर्म का भी आरोप लगा था। इस मामले में सीबीआइ की ओर से सात मुकदमे दर्ज कराए गए थे।

आंदोलनकारियों पर शिकंजा कसने में अपने बुने जाल में फंसे

दिलशाद सैफी ● जागरण

मुजफ्फरनगर: कहते हैं झूठ के हजार पैर होते हैं, वो तेज दौड़ता है, लेकिन अंततः सत्यता को लांघ नहीं पाता। यह बात रामपुर तिराहा कांड के सरकार बनाम ब्रजकिशोर केस में फिर सच साबित हुई। झिंझाना थाना के तत्कालीन एसओ (दारोगा) ने अपने सहकर्मियों आरक्षी अनिल कुमार, उमेशचंद और कमल किशोर के साथ मिलकर आंदोलनकारियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। वाहनों की तलाशी लेकर चार तमंचे, एक खुखरी (धारदार चाकू) तथा आठ कारतूस बरामद दिखाए थे, लेकिन पुलिसकर्मी अपने ही बुने जाल में स्वयं फंस गए। जिन हथियारों को बरामद दिखाया, उनके कभी गोली नहीं चली थी। यह तथ्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने साफ किया। यहीं से मुकदमे में आंदोलनकारियों के लिए आशा की किरण जाग उठी। इसके अलावा 17 लोगों की गवाही ने भी निर्णय की नींव को मजबूत किया।

पुलिस ने जिन हथियारों को बरामद दिखाया था, उनसे नहीं चली थी कोई गोली

उत्तराखंड संघर्ष समिति के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग वर्मा, उत्तराखंड सरकार से पैरवी के लिए नामित सीनियर प्रासिक्यूशन आफिसर (एसपीओ) अधिवक्ता रिंकू वर्मा तथा सीबीआइ के अधिवक्ता धारा सिंह मीणा ने एक-एक पहलू और पक्ष को लेकर तर्क और साक्ष्य रखे। लगभग 32 साल तक मुकदमे की सुनवाई के दौरान 17 गवाहों से बचाव पक्ष ने भी जिरह की। आरोपित को भी निरंतर बुलाया गया। तत्कालीन झिंझाना एसओ ब्रजकिशोर ने छपार में आंदोलनकारियों के वाहनों से मिले हथियार बरामद होने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें सिपाही अनिल कुमार, उमेशचंद और कमल किशोर को साक्षी बनाया। मुकदमे की फर्द में हथियार को सूंघकर उससे गोली चलना बताया गया, लेकिन विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने इसे नकार दिया। जांच में बरामद हथियार से गोली नहीं चली थी, जबकि पुलिस द्वारा दिखाया कारतूस किसी दूसरे हथियार से चलना साबित हुआ। गवाह ने न्यायालय में दिए बयान में कहा कि पुलिस ने बस संख्या यूकेई-1094 की तलाशी में हथियार मिलना बताया, लेकिन इस नंबर की बस उत्तर प्रदेश में नहीं थी। एआरटीओ कार्यालय से ये सीरिज कभी किसी वाहन को अलाट नहीं हुई। वहीं, एक ट्रांसपोर्टर ने गवाही दी थी कि महेंद्रा जीप यूपी-02-0123 को रामपुर तिराहा कांड में दिखाया गया, लेकिन यह जीप चमोली में उसने अपने दोस्त को दी थी, जो इसे अपने दैनिक कार्यों में चलाता था। यह जीप आंदोलनकारियों की रैली में नहीं गई थी। हालांकि बस संख्या-यूटीएस-1695 में आंदोलनकारी ऋषिकेश से सवार होकर आए थे। इसमें 50 आंदोलनकारी सवार थे। बस चालक ने गवाही दी कि पुलिस वालों ने बस को रामपुर तिराहे पर रोका था। उनकी बस से कोई छुरी-चाकू नहीं मिले थे। उनकी बस की तलाशी भी नहीं ली गई थी। क्योंकि वह और परिचालक बस में चालक सीट के पीछे छिपकर बैठे थे। उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए थे। यहां पर पुलिस की 200 से 250 गाड़ियां थीं। गवाहों के बयानों और सीबीआइ द्वारा दिए गए साक्ष्यों ने पुलिसकर्मियों के षड्यंत्र को साबित किया। पुलिसकर्मी अपने ही बुने जाल में फंस गए।

दिल्ली कूच करने के दौरान रामपुर तिराहा पर रोके गए आंदोलनकारी ● सौ. अधिवक्ता

रामपुर तिराहा पर वर्ष 1994 को दिल्ली कूच करने के दौरान रोके गए आंदोलनकारी ● सौ. इंटरनेट मीडिया

रामपुर तिराहा पर भगदड़ में गिरे आंदोलनकारी ●

स्वामी कल्याण देव डिग्री कॉलेज
बघरा-मुजफ्फरनगर
-: आवश्यकता है :-
स्नातक स्तर पर, असिस्टेंट प्रोफेसर के, निम्न विषयों में, एक-एक पद पर, स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 10.07.2026 तक आमंत्रित किए जाते है। हिन्दी, अंग्रेजी, ड्राईंग एण्ड पेटिंग, गणित, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं कॉमर्स।
वेतन एवं योग्यता- यू.जी.सी., उत्तर प्रदेश शासन एवं माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के मानकानुसार।
Gmail: skdprincipal@gmail.com, sharmabrijgopal8@gmail.com
(प्राचार्यः 8938870050) (कार्यालय नम्बरः 8881196667) सचिव

कार्यालय मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि०, मुजफ्फरनगर
मुख्यालयः कोर्ट रोड, मुजफ्फरनगर सम्पर्क नम्बर- 8171999357,8171999350
-: नीलामी सूचना :-
बैंक की समस्त शाखाओ एवं मुख्यालय पर निष्प्रयोज्य सामान (सूची अनुसार) को खुली बोली से 'जहाँ है जैसी है' के आधार पर नीलामी किया जाना है।
1. नीलामी की प्रक्रिया गुरुवार दिनाक 09.07.2026 को प्रातः 11.00 बजे से बैंक के कोर्ट रोड मुजफ्फरनगर स्थित मुख्यालय परिसर में प्रारम्भ की जायेगी।
2. इच्छुक बोलीदाता द्वारा वापसी योग्य जमानत राशि के रूप में नगद रु0 5000.00/- (पांच हजार रु०) जमा कराते हुए नीलामी में भाग लिया जा सकता है।
3. इच्छुक बोलीदाता द्वारा नीलाम की जाने वाली निष्प्रयोज्य सामान की बोली लगाने से पूर्व मुख्यालय एवं किसी भी शाखा पर बैंक कार्य दिवस में 10 बजे से 05 बजे के बीच में बैंक मुख्यालय को सूचित करते हुए भौतिक अवलोकन किया जा सकता है।
4. नीलामी के विस्तृत नियम व शर्तें बैंक मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है तथा बैंक की वेबसाइट https://muzaffarnagardcb.bank.in पर भी उपलब्ध है।
5. अधिक जानकारी हेतु मोबाइल नंबर 8171999357 (श्री पियूष शर्मा), 8171999350 (श्री ब्रजमोहन) पर संपर्क किया जा सकता है।
सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

शिक्षा देवी डिग्री कॉलेज
(माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर से सम्बद्ध)
-: आवश्यकता है :-
B.A.- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, B.COM और BCA कोर्स।
असिस्टेंट प्रोफेसर व लाईब्रेरियन हेतु UGC एवं राज्य सरकार के नियमानुसार अर्ह अभ्यर्थियों से सादे कागज पर फोटो सहित आवेदन आमंत्रित है, 10 जुलाई 2026 सायंकाल तक प्राप्त आवेदन ही स्वीकृत होंगे। आवेदन शिक्षा देवी डिग्री कॉलेज कार्यालय और ईमेल infoshikshadevi@gmail.com या Whatsapp No 9917327777 पर भी कर सकते हैं। साक्षात्कार हेतु कॉलेज द्वारा अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा। अन्य जानकारी हेतु दूरभाष नं0 9917327777 पर संपर्क कर सकते हैं। प्राचार्य – 9837409707 सचिव – 9412126768
Email- infoshikshadevi@gmail.com
www.shikshadevidegreecollege.co.in
B.A., B.COM और BCA में प्रवेश प्रारंभ है
8वीं कि.मी. मन्सूरपुर-शाहपुर रोड, निकट राखी पब्लिक स्कूल, सीहजनी तगान, मुजफ्फरनगर

निर्दोष को फंसाना संपूर्ण राज्य व्यवस्था और न्याय प्रणाली के विरुद्ध अपराध

सरकार बनाम राधा मोहन द्विवेदी व एसपी मिश्रा प्रकरण विचाराधीन

- रामपुर तिराहा कांड के सरकार बनाम ब्रजकिशोर मामला
- न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को भी टिप्पणी से कठघरे में किया खड़ा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर: रामपुर तिराहा कांड के सरकार बनाम ब्रजकिशोर मामले में न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को भी टिप्पणी से कठघरे में खड़ा किया। कहा कि निर्दोष को फंसाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचना और फर्जी साक्ष्य गढ़ना एक व्यक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण राज्य व्यवस्था व न्याय प्रणाली के विरुद्ध अपराध होता है। सजा सुनाए जाने के दौरान तीनों दोषी हाथ जोड़कर खड़े रहे। चेहरों पर खौफ दिखा और जुबां भी कांपती रही।

उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े दो मुकदमे अब भी न्यायालय में विचाराधीन हैं। हालांकि फर्जी साक्ष्य गढ़ने और आपराधिक साजिश रचने के दो अलग-अलग मुकदमे आरोपितों की मौत के चलते कोर्ट उपशमित कर चुकी है। पृथक राज्य उत्तराखंड की मांग के लिए हुए आंदोलन के दौरान दो अक्टूबर 1994 को थाना छपार क्षेत्र के रामपुर तिराहा पर बवाल हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने मामलों की विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। दुष्कर्म, लूट और छेड़छाड़ के आरोप में सरकार बनाम राधामोहन द्विवेदी प्रकरण कोर्ट में अब भी विचाराधीन है।

इस मुकदमे में 23 मार्च 2023 को 19 आरोपित कोर्ट में पेश हुए थे। महिलाओं के साथ अत्याचार को लेकर गवाही दी गई थी। वहीं, सरकार बनाम एसपी मिश्रा मामले में सीबीआइ ने तत्कालीन छपार थाना प्रभारी एसपी मिश्रा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि गोलीबारी में मारे गए एक आंदोलनकारी का शव साक्ष्य मिटाने के लिए गंगनहर में बहा दिया गया था। इस मामले में एसपी मिश्रा और ब्रजकिशोर, कांस्टेबल गजराज सिंह को आरोपित बनाया गया था। मंगलवार को सरकार बनाम ब्रजकिशोर के मामले में निर्णय आने के बाद दोनों मुकदमों में भी उम्मीद जगी है। सजा सुनाने के दौरान न्यायालय की टिप्पणी ने पुलिस के काम-काज की कलई भी खोली है।

आरोपितों की मौत होने पर फाइल बंद : सीबीआइ ने रामपुर तिराहा कांड को लेकर तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक राजबीर सिंह के विरुद्ध दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए थे। इनमें एक मुकदमे में उन पर जीडी फाड़कर झूठे साक्ष्य गढ़ने तथा दूसरे मुकदमे में उनके विरुद्ध आपराधिक साजिश रचने का आरोप था। पांच जून 2023 को तत्कालीन एसएचओ राजवीर सिंह की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु होने के बाद छह जनवरी 2024 को प्राप्त मृत्यु आख्या के आधार पर न्यायालय ने दोनों मुकदमे बंद कर दिए थे।

दुष्कर्म के दोषियों को हुआ था आजीवन कारावास : रामपुर तिराहा कांड के एक मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म के दोषी पीएसी से सेवानिवृत्त मिलाप सिंह पुत्र नेम सिंह निवासी ग्राम होरची पोस्ट निधौली कलां जिला एटा और वीरेंद्र प्रताप पुत्र कन्हैया यादव निवासी गौरी पोस्ट कोटिया गरोसे थाना पथरा बाजार जिला सिद्धार्थनगर को 18 मार्च 2024 को न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। कुल 15 गवाह पेश किए थे।

एक नजर में अब तक

- 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा पर आंदोलनकारियों के साथ घटना हुई।
- 25 जनवरी 1995 को सीबीआइ की तरफ से मुकदमे पंजीकृत कराए गए।
- 56 मुकदमे मुजफ्फरनगर समेत देहरादून, लखनऊ और दिल्ली में दर्ज हुए।
- 7 मुकदमे मुजफ्फरनगर में दर्ज कराए गए थे।
- 21 मार्च 1996 को सीबीआइ ने विवेचना पूर्ण कर चार्जशीट दाखिल की।
- 18 मार्च 2024 को सिपाही हर मिलाप सिंह, वीरेंद्र प्रताप को आजीवन कारावास
- 30 जून 2026 को फर्जी हथियार बरामदगी के मामले में ब्रजकिशोर, अनिल कुमार व उमेशचंद को सजा
- 17 गवाह सरकार बनाम ब्रजकिशोर के मुकदमे में हुए पेश
- 32 साल बाद दूसरे मुकदमे में आरोपितों को मिली सजा।

पंजाब नैशनल बैंक ..... भरोसे का प्रतीक!
punjab national bank ... the name you can BANK upon!
ARMB: सर्किल कार्यालय भवन #प्लॉट नं. 01, शाकुंतलम आवास विकास कॉलोनी सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर (यू.पी.) E-Mail: cs8284@pnb.bank.in

परिशिष्ट - IV-A [नियम 8 (6) SARFAESI, 2002 का परंतुक देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना -
प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, जिसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पढ़ा जाए। इसके द्वारा आम जनता को, और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/भारित है, जिसका सांकेतिक कब्जा बैंक/सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से सुरक्षित लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है वैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा (EMD) संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होंगे।

सुरक्षित आस्तियों की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटरों का नाम और पता	गिरवी रखी गई चल और अचल संपत्ति का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति/संपत्तियों के गिरवी रखने वाले)	A) SARFAESI Act 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तारीख B) SARFAESI Act 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया राशि C) 30.04.2026 तक वर्तमान बकाया राशि D) SARFAESI Act 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तारीख E) कब्जे का प्रकार: सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	a) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) b) EMD c) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	भारों का विवरण जो सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात हैं
1.	**बीओ: मुजफ्फरनगर हनुमान चौक SOL ID: 159100** श्री अशोक कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री रमेश चंद (उधारकर्ता) पता: जैसा कि ऊपर बताया गया है।	श्री अशोक कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री रमेश चंद के नाम पर रिहायशी मकान, जो मोहल्ला लद्दावाला उत्तरी, तहसील और जिला मुजफ्फरनगर, यूपी में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 53.68 वर्ग मीटर है। यह प्रॉपर्टी सब-रजिस्ट्रार मुजफ्फरनगर के ऑफिस में बही नंबर 2, खंड 958, पेज नंबर 185 से 190 पर सीरियल नंबर 3263 तारीख 16.05.1997 के तहत रजिस्टर्ड है और इसके बाद साल 2017 के कोर्ट ऑर्डर नंबर 449 के अनुसार यह प्रॉपर्टी श्री अशोक कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री रमेश चंद के नाम पर ट्रांसफर हो गई। **प्रॉपर्टी की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व:** 12 फीट चौड़ी सड़क, **पश्चिम:** नाला, **उत्तर:** श्रीपाल का घर, **दक्षिण:** राजेंद्र कुमार का घर।	A) 16.10.2025 B) Rs. 25,55,622.26 दिनांक 30.09.2025 तक + आगे का ब्याज और अन्य शुल्क, यदि कोई हों C) Rs. 26,86,019.17 + 01.06.2026 से आगे का ब्याज + कानूनी और अन्य खर्च D) 26.05.2026 E) सांकेतिक कब्जा	a) 21.10 लाख रुपये b) 2.11 लाख रुपये c) 0.25 लाख रुपये	04.08.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	कोई ज्ञात नहीं
2.	**बीओ: शामली SOL ID: 043110** 1. गर्ग बायोडिग्रेडेबल यूटेंसिल मैन्युफैक्चरर्स पार्टनर श्री मनोज कुमार गर्ग और श्री संदीप कुमार गर्ग के माध्यम से (उधारकर्ता) 2. श्री मनोज कुमार गर्ग पुत्र श्री नंद किशोर (पार्टनर/गारंटर) 3. श्री संदीप कुमार गर्ग पुत्र श्री जैनारायण दास गर्ग (पार्टनर/गारंटर) पता: जैसा कि ऊपर बताया गया है।	प्लांट और मशीनरी का हाइपोथिकेशन (गिरवी रखना) (बगास, गेहूँ के भूसे और पेपर पल्प से डिस्पोजेबल प्लेट बनाने के लिए)	A) 17.11.2023 B) Rs. 1,33,70,344.33 दिनांक 30.10.2023 तक + आगे का ब्याज और अन्य शुल्क, यदि कोई हों C) Rs. 1,10,62,163.33 + 01.06.2026 से आगे का ब्याज + कानूनी और अन्य खर्च D) 30.04.2024 E) सांकेतिक कब्जा	a) 31.50 लाख रुपये + जीएसटी b) 3.15 लाख रुपये c) 0.32 लाख रुपये	17.07.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	कोई ज्ञात नहीं
3.	**बीओ: कैराना SOL ID: 302300** 1. मैसर्स इमरान अली कॉन्ट्रैक्टर, प्रो. इमरान अली पुत्र रमजानी (उधारकर्ता) 2. इमरान अली पुत्र रमजानी उर्फ जानी (उधारकर्ता) 3. रमजानी उर्फ जानी पुत्र मकमुला (गारंटर) 4. शकीला पत्नी रमजानी उर्फ जानी (गारंटर) पता: जैसा कि ऊपर बताया गया है।	श्री रामजानी उर्फ जानी पुत्र श्री मकमूला और श्रीमती शकीला पत्नी श्री रामजानी उर्फ जानी के नाम पर रिहायशी मकान, जो आबादी बींदा रोड, कैराना, परगना और तहसील कैराना, जिला शामली, उत्तर प्रदेश में स्थित हैय इसका क्षेत्रफल 351.62 वर्ग मीटर है। यह सब-रजिस्ट्रार कैराना, जिला शामली के ऑफिस में सेल डीड नंबर 5319 तारीख 09.09.1991 के तहत बही नंबर 1, जिल्द नंबर 1905, पेज 267-269 पर रजिस्टर्ड है। प्रॉपर्टी की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: नसीम का घर, पश्चिम: 10.5 फीट चौड़ा रास्ता/गली, उत्तर: जाहिद का घर, दक्षिण: मुस्तकीम का घर।	A) 09.03.2022 B) Rs. 21,27,272.88 दिनांक 18.12.2018 तक + आगे का ब्याज और अन्य शुल्क, यदि कोई हों C) Rs. 54,49,577.88 + 01.06.2026 से आगे का ब्याज + कानूनी और अन्य खर्च D) 15.09.2022 E) सांकेतिक कब्जा	a) 31.10 लाख रुपये b) 3.11 लाख रुपये c) 0.40 लाख रुपये	17.07.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	कोई ज्ञात नहीं
4.	**बीओ: एमएमजी शामली SOL ID: 182200** 1. मैसर्स एमवीएन फूड्स एंड बेवरेजेज प्रा.लि. (इसके डायरेक्टर श्री मांगे राम मलिक, श्री विनीत कुमार और श्री नितिन कुमार के माध्यम से) (उधारकर्ता) 2. श्री मांगे राम मलिक (मैसर्स एमवीएन फूड्स एंड बेवरेजेज प्रा.लि. के डायरेक्टर) (गारंटर) 3. श्री विनीत कुमार (मैसर्स एमवीएन फूड्स एंड बेवरेजेज प्रा.लि. के डायरेक्टर) (गारंटर) 4. श्री नितिन कुमार (मैसर्स एमवीएन फूड्स एंड बेवरेजेज प्रा.लि. के डायरेक्टर) (गारंटर) 5. श्रीमती मुनेश पत्नी श्री मांगे राम (बन्धककर्ता/गारंटर) 5. श्री देश पाल राणा पुत्र श्री बलजोर सिंह (गारंटर) पता: जैसा कि ऊपर बताया गया है।	1. श्री मांगे राम पुत्र श्री महावीर सिंह और श्रीमती मुनेश पत्नी श्री मांगे राम के नाम पर कुल 0.3917 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली 'संक्रमणीय भूमिधारी' जमीन। जो खसरा नंबर 1036, नहर पटरी, ग्राम लिलोन, परगना शामली में स्थित है और शामली के सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में सीरियल नंबर 11267 तारीख 21.10.2014, बुक नंबर 1, खंड नंबर 4075, पेज 203-228 पर रजिस्टर्ड है, उसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: चकमार्ग बधु रजवाहा, पश्चिम: यमुना नहर, उत्तर: चकमार्ग, दक्षिण: दूसरों की जमीन।	A) 20.12.2025 B) Rs. 73,30,425.85 दि. 30.11.2025 तक +आगे का ब्याज व अन्य शुल्क, यदि कोई हों C) Rs. 78,16,388.85 + 01.06.2026 से, आगे का ब्याज + कानूनी और अन्य खर्च D) 10.03.2026 E) सांकेतिक कब्जा	a) 101.00 लाख रुपये b) 10.10 लाख रुपये c) 1.00 लाख रुपये	04.08.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	कोई ज्ञात नहीं
		2. श्री मांगे राम पुत्र श्री महावीर सिंह के नाम पर रिहायशी प्लॉट, जिसका साइज 180 वर्ग गज है और जो प्लॉट खाता नंबर 457, खसरा नंबर 430G, ग्राम-किवाना, परगना कांधला, शामली में स्थित है। यह शामली के सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में सेल डीड नंबर 1664 तारीख 05.03.2020, बुक नंबर 1, खंड 2091, पेज 219-234 पर रजिस्टर्ड है और इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: वीरेंद्र आदि का खेत, पश्चिम: खरीदार का खेत, उत्तर: नदी, दक्षिण: खसरा नंबर 462 आदि।	A) 20.12.2025 B) Rs. 73,30,425.85 दि. 30.11.2025 तक +आगे का ब्याज व अन्य शुल्क, यदि कोई हों C) Rs. 78,16,388.85 + 01.06.2026 से, आगे का ब्याज + कानूनी और अन्य खर्च D) 10.03.2026 E) सांकेतिक कब्जा	a) 4.00 लाख रुपये b) 0.40 लाख रुपये c) 0.04 लाख रुपये		

ई-नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें
यह बिक्री 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002' में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी, और साथ ही निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के भी अधीन होगी:
1. संपत्तियों की बिक्री 'जैसी है, जहाँ है', 'जैसी है, वैसी है', और 'जो कुछ भी है, उसी आधार पर' के आधार पर की जा रही है।
2. ऊपर दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण अधिकृत अधिकारी की जानकारी के अनुसार यथासंभव सही दिया गया है, तथापि, इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान, या चूक के लिए अधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा।
3. यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपरोक्त दिनांक को सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक संपन्न की जाएगी।
4. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com देखें।

दिनांक: 30.06.2026 स्थान: मुजफ्फरनगर प्राधिकृत अधिकारी (पंजाब नैशनल बैंक)